

प्रेषक,

अभिषेक सिंह-11,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1- आयुक्त
खाद्य एवं रसद विभाग, 30प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ। | 2- समस्त मण्डलायुक्त,
30प्र0। |
| 3- समस्त जिलाधिकारी,
30प्र0। | |

खाद्य तथा रसद अनुभाग-7

लखनऊ दिनांक 07 सितम्बर, 2018

विषय:-मिट्टी तेल थोक विक्रेताओं द्वारा मिट्टी के तेल के अतिरिक्त अन्य सामग्री को उचित दर दुकानदारों को क्रय किये जाने हेतु बाध्य किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासन के संज्ञान में आया है कि प्रदेश में मिट्टी तेल थोक विक्रेताओं द्वारा मिट्टी के तेल के अतिरिक्त अन्य सामग्री यथा डिटर्जेंट पाउडर, चाय की पत्ती व नमक आदि, उचित दर दुकानदारों को क्रय किये जाने हेतु बाध्य किया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी मिट्टी तेल थोक विक्रेता द्वारा राशन दुकानदारों को मिट्टी के तेल के साथ-साथ अन्य सामग्री यथा डिटर्जेंट पाउडर, चाय की पत्ती व नमक आदि क्रय करने हेतु बाध्य नहीं किया जायेगा। कृपया उक्त निर्णय का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीय,

(अभिषेक सिंह-11)

विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त उपायुक्त (खाद्य), 30प्र0।
- 2- समस्त संयुक्त आयुक्त (खाद्य), 30प्र0।
- 3- समस्त जिलापूर्ति अधिकारी, 30प्र0।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार)

अनु सचिव।